		For Uploading on Website
	COURT NOTICE **(U/o 5 Rule 20 CPC)** IN THE COURT OF Abhishek Chaudhary **Civil Judge (Junior Division) Hisar** **Next Date, Purpose of case, Orders and Judgments as well as other case information is available on http://ecourts.gov.in**	

Vikas Soni
Vs.
General Public

CNR No. HRHS02-001117-2021
Next Date:- 09-09-2021

दावा बाबत स्थगनादेश

श्री मति जी,

मन वादी अति सम्मानपूर्वक विनती करता है की :-

01. यह है की वादी और प्रतिवादीगण सभी उपरोक्त पते के स्थाई निवासी है I

02. यह है की वादी एक आम शहरी नागरिक है तथा हरियाणा सरकार और उसके सभी महकमो व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 द्वारा स्थापित सभी नियमो व कानूनों का पालन करता है तथा अपने हर क़ानूनी कर्तव्य का निर्वहन करता है I प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 द्वारा दी गई जो-जो भी सेवाये वादी के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसके बदले वादी प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 को उसी अनुसार रक़म/बिलों की अदायगी करके अपने कर्तव्य निभाता है I

03. यह है की जहाँ वादी अपने क़ानूनी कर्तव्यों को निभाता है, वहीँ उसी कानून ने वादी को कुछ हक भी प्रदान किये है, जिसे प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 अपने क्षेत्राधिकार अनुसार वादी को प्रदान करने के लिए क़ानूनी तौर पर बाध्य है I

04. यह है की प्रतिवादी नम्बर 2 का यह क़ानूनी कर्तव्य है की वह वादी व शहर के सभी आम लोगों के लिए, हिसार शहर की विशेषतय सभी मुख्य सड़कों व बाज़ारों में पैदल चलने वालों के लिए बिना नाजायज कब्ज़े किये हुए, रास्तों का बंदोबस्त करें परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 ने इस बारे जानबूझकर कोई कदम नहीं उठाया हुआ है I उदहारणतय अगर वादी को हिसार बस स्टैंड से चलकर जिन्दल चौक या आजाद नगर या राजगुरु मार्किट व साथ लगते अन्य सभी बाजारों या हिसार शहर में स्थित किसी भी अन्य बाज़ार में जाना हो तो, पहली बात तो ये की वहां पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं बनाया हुआ और अगर कहीं बनाया हुआ भी है तो उस पर लोगों ने प्रतिवादी नम्बर 2 से मिलीभगत और साठगांठ करके कब्ज़ा किया हुआ है जिससे कहीं कहीं बनाये हुआ रास्ते भी बंद है I प्रतिवादी नम्बर 2 ने असामाजिक लोगों के साथ मिलकर व

राजनेतिक दबाव के वशीभूत होकर, शहर स्थित विभिन्न पार्कों की जगह पर जानबूझकर कब्ज़े करवा रखे है, पैदल चलने के लिए छोड़े गए रास्तों पर जरनेटर रखवाकर, प्राइवेट पार्किंग बनवाकर, पुल के नीचे पार्किंग बनवाकर, दुकानदारों के साइन बोर्ड लगवाकर, रेहड़ीयाँ खडी करवाकर, पैदल चलने के लिए निर्धारित रास्तों पर बूथ लगवाकर, पार्कों में बूथ लगवाकर व यहाँ तक की जगह सरेआम पर पुलिस के नाजायज बूथ व कमरे बनवाकर, नाजायज कब्ज़े करवा रखे है जिससे प्रतिवादी नम्बर 2 को तो कोई आमदनी नहीं होती परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 के अधिकारीयों/कर्मचारियों की खूब चाँदी हो जाती है, भले ही आम लोगों को चलने के लिये रास्ता मिले या ना मिले I

05. यह की जब-जब भी आम शहरियों द्वारा इस बारे प्रतिवादी नम्बर 2 को लिखा ज़ाता है तो उनकी शिकायतों को सीधा रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया जाता है I इसी तरह प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा हिसार शहर में विभिन्न जगहों पर गैर क़ानूनी तरीके से फल एवं सब्जी की रेहड़ीयाँ व अन्य दीगर सामानों की रेहड़ीयाँ लगवाई जाती है जिसमे तहबाजारी के नाम पर, नाममात्र राजस्व प्राप्त होता है यानि रेहड़ीयाँ तो 100 लगवाई जाती है और प्रतिवादी नम्बर 2 को राजस्व केवल 10 रेहड़ियों का भी वसूल नहीं होता तथा बाकी लगने वाली 90 रेहड़ीयाँ केवल जगह क़ब्ज़ाती है तथा उनसे नाजायज वसूली उस वार्ड के म्युनिसिपल कॉर्पोरटर (M.C.) या उसके कारिन्दों की जेब में गैर क़ानूनी ढंग से जाती है तथा प्रत्येक रेहड़ी/बूथ वाले से शाम को लाइट जलाने व रेहड़ी लगाने के नाम पर गैर क़ानूनी ढंग से वसूली की जाती है, जिसका कुछ भी फायदा प्रतिवादी नम्बर 2 को ना होकर, उक्त लोगों की ज़ेब भारी करता है, जिसमे मुख्यतः D.C./M.C. कालोनी सब्जी मंडी, मॉडल टाउन, जवाहर नगर, आजाद नगर, बस स्टैंड, ऋषि नगर व शहर के अन्य विभिन्न हिस्सों में लगने वाली रेहड़ी मार्किट है I प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा जिस जगह का स्ट्रीट वेण्डिंग का लाइसेंस दिया जाता है, असल में वह रेहड़ी वहां खड़ी ना होकर अन्य उपयुक्त जगह पर कब्ज़ा करती है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 चुपचाप देखता है I

06. यह की प्रतिवादी नम्बर 2 ने हिसार शहर की मुख्य सड़कों व बाज़ारों में पैदल चलने वालों लोगों के लिए नियत जगहों पर, सड़क के दोनों तरफ पीले रंग की पट्टीयों का निर्माण करके उसे पार्किंग के लिए नियत कर दिया है, जिससे वादी या अन्य कोई भी नागरिक, ना तो सड़कों के दोनों और पार्किंग होने की वजह से पैदल चल सकता है और ना ही मुख्य रोड पर, जहाँ बहुत ज्यादा वाहन होने के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है I यहाँ तक की प्रतिवादी नम्बर 2 ने शहर के मुख्य बाज़ार राजगुरु मार्किट में सड़क के बीचोंबीच पार्किंग स्थल नियत कर दिया है, जो सरासर गलत व मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के कतई विपरीत है क्योंकि जहाँ प्रतिवादी नम्बर 2 को लोगों के लिए नियत बरामदों को, साइन बोर्ड व नाजायज कब्ज़े हटवाकर खाली करवाया जाना चाहिये, उसकी जगह प्रतिवादी नम्बर 2 ने सड़क के बीचोंबीच ही पार्किंग का निर्माण गैर क़ानूनी ढंग से करवा दिया ताकि प्रतिवादी नम्बर 2 के अधिकारीयों/कर्मचारियों की नाजायज वसूली बन्द ना हो, जो इस बारे वादी विडियो रिकॉर्डिंग

पेश कर सकता है I प्रतिवादी नम्बर 2 को कोई क़ानूनी हक नहीं है की वह मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ जाकर सड़क के बीचोंबीच स्थान को पार्किंग में तब्दील करे I

07. यह है की प्रतिवादी नम्बर 2 ने हिसार शहर के लगभग हर प्राइवेट हस्पताल व स्कूल को, नियमो के विरुद्ध जाकर सरकारी भूमि कब्जाने का लाइसेंस दे रखा है जहाँ प्राइवेट हस्पतालों व स्कूलों के द्वारा आम पब्लिक के लिए नियत स्थान को पार्किंग, निजी स्कुल बसें खड़ी करने व उनके जरनेटर आदि रखने के लिए, प्रतिवादी नम्बर 2 से मिलीभगत करके कब्ज़ा रखा है जिनमे मुख्यत सैंट कबीर स्कूल, D.A.V. स्कूल, बलूमिंग डेल्स स्कुल, होली हस्पताल, सुखदा हस्पताल, शारदा हस्पताल व कई अन्य स्कूल और हस्पताल है I यहाँ तक की शारदा हस्पताल ने तो मुख्य सड़क पर लगभग 20-25 फूट जगह कब्जाकर निर्माण तक किया हुआ है व सुखदा हस्पताल ने रस्सियों व पिल्लर लगाकर कब्ज़ा किया हुआ है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें प्राइवेट हस्पतालों से फ्री दवाई-पानी व स्कूलों से अपने बच्चों की पढाई मुफ्त में मिल जाये I

08. यह है की प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने अपने गैर क़ानूनी कृत्यों की वजह से पूरे शहर को बदसूरत करके रख दिया है, जैसे प्रतिवादी नम्बर 2 ने पुरे शहर में गैर क़ानूनी निर्माण कार्य धड़ल्ले से करवाए है जो सड़क रिकॉर्ड के हिसाब से 30-30 फूट चोडी है, उस सड़क पर प्रतिवादी नम्बर 2 से मिलीभगत करके लोगों ने, सड़क के दोनों और स्थित अपने-अपने मकानों के सामने लगभग 7-7/8-8 फूट के चबूतरो/बरामदो का निर्माण कर रखा है जिससे 30 फूट चोडी सड़क मोका पर केवल 15 फूट चोडी रह गई है, जिसका खामियाजा वादी व अन्य नागरिकों को हर रोज आते-जाते भुगतना पड़ता है I यही हाल प्रतिवादी नम्बर 3 ने अपने द्वारा निर्मित प्रत्येक सेक्टर में करवा रखा है जो मुख्तय सेक्टर 14 व सेक्टर 16/17 में सड़क का हाल देखकर जाना जा सकता है I

09. यह है की प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 ने लगभग हर गली, मोहल्ले, कालोनी व सेक्टर में या तो खुद मुख्य सड़कों पर लोहे के बडे-बडे गेट लगवा रखे है या समिति/कम्पनियों या संगठित समूहों को ऐसा करने की गैर क़ानूनी इजाजत दे रखी है, जिससे वादी व अन्य लोगों की आमदोरफ्त में बाधा होती है तथा उनके कहीं भी आने-जाने के अधिकारों का हनन होता है I कोई भी कानून प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 को यह हक नहीं देता की वह खुद या किसी समिति/ कम्पनी/संगठित समूह को गली/मोहल्ले/कालोनी या सेक्टर में आने-जाने में प्रयोग होने वाली सड़कों पर लोहे के गेट आदि लगाकर, किसी विशेष हिस्से को दिन या रात में बन्द रखने की इजाजत नियमों के विरुद्ध जाकर दे, परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 को इन बातों की कोई परवाह नहीं है तथा समिति/ कम्पनी/संगठित समूह ऐसा धडल्ले से कर रहे है I

10. यह की यहाँ तक भी है की ऐसी समिति/कम्पनी/संगठित समूह को चलाने वाले लोग दिन में भी गेट पर ताला लगा देते है तथा आने वाले को कोई पता नहीं होता की उस ताले की चाबी किसके पास है, जिससे वादी व अन्य आम आदमी सिर पटककर रह जाता है I अगर प्रतिवादी नम्बर 3 द्वारा जारी सर्कुलर को भी देखा जाये तो उसके हिसाब से भी अगर किसी गली/मोहल्ले/कालोनी में सड़क पर गेट लगाने भी है तो जितने भी गेट लगाए जायेंगे, उतने ही चोकीदार नियुक्त करने होते है और वो भी केवल रात के समय, जबकि ऐसी कोई भी समिति/कम्पनी/संगठित समूह इस कानून की पालना नहीं करता और जब दिल करे मुख्य सड़क को गेट की सहायता से बंद कर दिया जाता है, जो कानून के विपरीत है I

11. यह की वादी ने भी अन्य आम लोगों की तरह प्रतिवादीगण से कई बार गुजारिश की की यह सब उपरोक्त कृत्य गलत अवं गैर क़ानूनी है तथा इन्हें दूर किया जाना चाहिए, परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की बातों को कोई तवज्जो नहीं देकर, हर बार उसे दर-गुज्जर कर दिया I अगर प्रतिवादीगण अपने गैर क़ानूनी कार्यों को भविष्य में भी ऐसे ही अन्जाम देते रहे तो इससे वादी को नाकाबिले तलाफी नुक्सान होता रहेगा, जिसकी भरपाई किसी भी सूरत में बाद में नहीं की जा सकती, इसलिए मोजुदा दावा दायर किया जा रहा है I

12. यह की वादी को वादकरण/वादमुल का पहला हक जनवरी, 2021 में पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की जायज मांगों को मानने से ये कहते हुए इनकार कर दिया की देखेंगे, उसके बाद वादमुल का हक फ़रवरी व मार्च, 2021 में पैदा हुआ जब वादी बार-बार प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 के दफ्तरों में जाता रहा परन्तु उसकी क़ानूनी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और वादमुल का अंतिम हक आज से करीब एक हफ्ते पहले पैदा हुआ, जब प्रतिवादीगण ने भविष्य में भी वादी की जायज मांगों को मानने से साफ़ इनकार कर दिया I हालांकि मोजुदा दावा में वादकरण का हक वादी को बार बार और हररोज पैदा होता है जब जब भी वादी अपने किसी निजी कार्य से बाज़ार आदि जाता है और उसे हर बार इन्ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है I

13. यह है की वादी के द्वारा अपने उपरोक्त दावा में जिस-जिस भी दिक्कत/परेशानी को दूर करने बारे गुजारिश की गई है वो हर दिक्कत/परेशानी म्युनिसिपल एरिया, हिसार में स्थित है, जो की माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ती है I दावा के दोनों पक्ष के दफ्तर/निवास भी हिसार, जिला हिसार में पड़ते है जो भी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते है I इसलिए हर लिहाज से दीवानी न्यायलय को मोजुदा दावा सुनने और उस पर अपना फैसला सुनाने का पूरा-पूरा क़ानूनी अधिकार है I

14. यह है की कोर्ट फीस व क्षेत्राधिकार के हिसाब से मोजुदा दावा की कीमत 200/- रुपये आंकी जाती है जिस पर मुकररशुदा कोर्ट फीस लगा दी गई है I

15. यह की मोजुदा वादकरण को लेकर अन्य कोई दावा, उक्त दोनों पक्षों के मध्य, इसी झगड़े को लेकर व इन्ही मांगों के बारे, ना ही तो किसी भी सक्षम न्यायालय में चल रहा है और ना ही आज तलक कोई फैसला हुआ है I

अतः अति सम्मानपूर्वक दावा पेश करके विनती/गुजारिश है की वादी के दावा को बा-कीमत वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री किया जाये और निम्न आदेश पारित किये जावे, जो की :-

(A) प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिए जाये की वह वादी व शहर के सभी आम लोगों के लिए, हिसार शहर की सभी मुख्य व गैर मुख्य सड़कों, बाज़ारों, गली, मोहल्लों व सेक्टर्स में पैदल चलने वाले लोगों के लिए नाजायज कब्ज़े मुक्त रास्तों का बंदोबस्त करें यानि जो रास्ते उपलब्ध है उन्हें तो कम से कम नाजायज़ कब्जों से मुक्ति दिलवाए I

(B) प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को आदेश दिए जाये की वो म्युनिसिपल एरिया, हिसार में स्थित सभी पब्लिक पार्कों की, जो-जो पार्क उनके अधीन आते है, उनकी निशानदेही करवाकर या बिना निशानदेही करवाए, पार्कों की जगह पर किये गए सभी तरह के नाजायज कब्ज़े हटवाये ताकि वादी व शहर के सभी आम लोग उनका प्रयोग कर सके I

(C) प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 को आदेश दिए जाये की वो अपने-अपने अधीन आने वाले सभी म्युनिसिपल क्षेत्रों से, सभी तरह की गैर क़ानूनी पार्किंग हटवाये, जो शहर के लगभग हर पुल के नीचे, निजी व्यवसायिक केन्द्रों के सामने, प्राइवेट स्कूलों के सामने तथा लगभग हर प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपने अस्पताल के सामने बना रखी है, ताकि वादी व सभी आम शहरी सांझी ज़गह का सदुपयोग कर सके I

(D) प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिए जाये की वह म्युनिसिपल एरिया हिसार के अन्दर आने वाले सभी दुकानदारों, निजी व्यवसायिक केन्द्रों, कालोनी/गली/मोहल्ला/सेक्टर्स स्थित हर तरह के मकानों/ घरों के लोगो ने, जिस भी सांझी जगह पर नाजायज कब्ज़ा करके साइन बोर्ड आदि लगा रखे है, निर्माण कार्य कर रखा है, ग्रीनरी बना रखी है, गैर क़ानूनी ढंग से बढे-बढे चबूतरे बना रखे है, नियम विरुद्ध छज्जे बना रखे है, शेड लगा रखे है, निजी व्हीकल की पार्किंग बना रखी है, निजी व्हीकल को सांझी सडक, गली/पार्क में पार्किंग करता है या निजी पार्क बना रखा है, ऐसी तमाम जगहों से गैर क़ानूनी कब्ज़े हटवाए जाये ताकि वादी व आम शहरी सांझी जगह का सदुपयोग कर सके, जिस वजह से उसे छोड़ा गया है I

(E) प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिए जाये की वह निर्धारित जगहों पर ही, उचित लाइसेंसधारी व्यक्तियों को ही रेहड़ी खड़ी करने व फड़ी लगाने की इजाजत दे ताकि मार्किट फीस व तहबाजारी फीस वसूल हो सके तथा जितनी रेहड़ी/फडी की फीस प्राप्त होती है केवल उतनी ही रेहड़ीयां व फडीयां लगाने के इजाजत दी जाये तथा शहर के मुख्य बाजारों में लगने वाली हर तरह की नाजायज रेहड़ी मार्किट, फल व सुब्ज़ी मार्किट को हटाया जाये I आम लोगों के लिए पैदल चलने के लिए निर्धारित रास्तों पर लगे हर तरह के नाजायज़ बूथ/कमरे/दुकाने/बोर्ड हटाई जाये ताकि वादी व आम लोगों को चलने के लिये रास्ता मिले I

(F) प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा शहर की मुख्य सड़कों व बाज़ारों में पैदल चलने वालों लोगों के लिए नियत जगहों पर, सड़क के दोनों तरफ पीले रंग की पट्टीयों का निर्माण करके उसे पार्किंग के लिए नियत कर दिया है तथा इसी तरह शहर के मुख्य बाज़ार राजगुरु मार्किट व अन्य बाजारों में सड़क के बीचों बीच पार्किंग स्थल नियत कर दिया है, जो सरासर गैर क़ानूनी है व मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 2 को ऐसी हर पार्किंग, केवल मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही निर्मित करने बारे आदेश दिए जाये तथा शहर के बाजारों में, प्रतिवादी नम्बर 2 व अन्य लोगों के लिए नियत बरामदों को, साइन बोर्ड व अन्य सामन रखकर किये गए नाजायज कब्जों से मुक्त करवाने के आदेश दिए जाये I

(G) प्रतिवादी नम्बर 2 को आदेश दिए जाये की वह म्युनिसिपल एरिया हिसार में स्थित सभी प्राइवेट हस्पतालों व प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जितनी भी सांझी जगह पर कब्ज़ा करके उसे निजी स्कुल बसें खड़ी करने हेतु पार्किंग बनाया गया है, जरनेटर आदि रखकर कब्ज़ा किया गया है, गैर क़ानूनी निर्माण ही कर लिया गया है या किसी अन्य तरीके से कब्ज़ा किया गया है, ऐसी सभी जगहों से कब्ज़े हटवाए जाये, ताकि वादी व आमजन उसे प्रयोग कर सके जिसके लिए वह जगह नियत है I

(H) प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 को आदेश दिए जाये की वह म्युनिसिपल एरिया हिसार में स्थित हर सड़क को ऑफिस रिकॉर्ड के अनुसार मुक्त करवाए यानि जो सड़क रिकॉर्ड के हिसाब से 30-30 फूट चोडी है तथा लोगों ने उस सड़क पर, सड़क के दोनों और स्थित अपने-अपने मकानों/ दुकानों के सामने लगभग 7-7/8-8 फूट के चबूतरो/बरामदो का गैर क़ानूनी निर्माण प्रतिवादीगण नबर 2 व 3 की जगह पर करके उस सड़क को केवल 15 फूट छोड़ दिया है, उस गैर क़ानूनी निर्माण को हटवाया जाये जिससे वादी व अन्य नागरिकों को आने जाने के लिए मुक्त स्थान मिल सके I

(I) प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 द्वारा म्युनिसिपल एरिया हिसार में स्थित हर गली, मोहल्ले, कालोनी व सेक्टर की सड़क पर या तो खुद द्वारा लगवाए गए या प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा इनसे इजाजत लेकर या बिना इजाजत, नियम विरुद्ध लगवाए गए, लोहे के बढे-बढे दरवाजों के निर्माण कार्य को हटाने के आदेश जारी किये जाये, जिससे वादी व अन्य लोगों की आमदोरफ्त में बाधा उत्पन्न ना हो तथा उनके कहीं भी आने-जाने के अधिकारों का हनन ना हो I

PUBLICATION ISSUED TO:

General Public
:-
any samiti/company or any organised group

To,

The Manager
Hari Bhumi, Rohtak.

Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the defendant(s)/respondent(s) above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation **under order 5 Rule 20** CPC is hereby issued against him/them and should appear personally or through their counsel on **09-09-2021 at 10:00 a.m.**

Take notice that, in default of his/their appearance on the day before mentioned, the above said case will be heard and determined in his/their absence according to law.

Given under my hand and the seal of the Court, this **06-09-2021.**

D.M. No. 121 Dated 08-07-2021 Rs 1260/-

Civil Judge (Junior Division)
Hisar

Civil Judge (Junior Division) HISAR